न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी शुचि त्यागी (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 23/2017 अपील

उनवान

श्री रामदेव गोदपिता हरलाल गुर्जर निवासी पुलिस अधीक्षक बंगले के पीछे, शाम की सब्जी मण्डी, सेशन कोर्ट रोड़ भीलवाड़ा जिला भीलवाडा (राज0) **—— अपीलार्थी**	**बनाम**	1.श्रीमती भंवरीदेवी पत्नि स्व0 राधाकिशन गुर्जर निवासी होटल हवेली के पास, इन्द्रा मार्केट, भीलवाड़ा 2.राजस्थान राज्य जरिये लोक अभियोजक भीलवाड़ा **——प्रत्यर्थीगण**

अपील अन्तर्गत धारा 16 माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 विरूद्ध आदेश उपखण्ड मजिस्ट्रेट,भीलवाड़ा के प्र0सं0 03/2016 निर्णय दिनांक 11.05.2017प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 4,5,9 व 20 भा0दं0सं0 वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण अधिनियम

उपस्थित :– श्री नवरतनमल जोशी अधि0 अपीलार्थी
श्री नौनिहालसिंह गौड अधि0 प्रत्यर्थी सं0 1

निर्णय

दिनांक : 31/05/2018

अपीलार्थी की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 16 माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 विरूद्ध आदेश उपखण्ड मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा के प्र0सं0 03/2016 निर्णय दिनांक 11.05.2017 के दिनांक 31.05. 2017 को प्रस्तुत की जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी भवंरीदेवी ने अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र अपीलार्थी के विरूद्ध भरण पोषण प्राप्ति हेतु पेश किया जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को बिना सुने व समुचित अवसर दिये एकतरफा आदेश पारित कर स्वीकार कर लिया जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की है। अपीलार्थी द्वारा प्रकरण में पटवारी हल्का से प्रार्थीया के जायन्दा सभी सन्तानों की जांच रिपोर्ट मंगाने का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 जा0दी0 व आदेश 01 नियत 10 के तहत प्रार्थीया के सभी पुत्र पुत्रियों को बतौर पक्षकार बनाया जाकर भरण पोषण राशि हेतु प्रस्तुत किया जिसका प्रार्थीया द्वारा कोईजवाब प्रस्तुत नहीं किया व दिनांक 28.04.2017 को अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्रों पर बहस सुन उक्त प्रार्थनापत्र को खारिज कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थनापत्र के विधिक पहलुओं पर ध्यान दिये बिना मनमाने तौर पर उक्त प्रार्थनापत्र गलत तौर पर खारिज कर दिया जबकि माता पिता की प्रत्येक संतान का यह विधिक दायित्व होता है। प्रश्नगत प्रकरण में अपीलार्थी तो अन्यत्र गोद चला गया एवं

जिला मजिस्ट्रेट
भीलवाड़ा (राज.)

प्रत्यर्थी की शेष संतानों का यह विधिक दायित्व है कि वह अपने माता पिता का भरण पोषण करे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी के उक्त आवेदन पत्र पर जांच करायी जाती तो वास्तविक तथ्य न्यायालय के दृष्टिपटल पर स्पष्ट हो जाते और प्रकरण के निष्पक्ष निस्तारण में न्यायालय को सफलता मिलती। दिनांक 11.05.2017 को अपीलार्थी के अधिवक्ता बाहर गये होने से वक्त सुनवाई न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सके व अपीलार्थी की ओर से अपना समुचित पक्ष नहीं रख सके व ना ही अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर ही दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा उक्त प्रकरण में ना तो साक्ष्य ही ली गयी एवं ना ही सुनवाई का समुचित अवसर ही प्रदान किया गया। जबकि अधिनियम में वणित प्रावधानानुसार ऐसी प्रक्रियाओं में सभी साक्ष्य दोनों पक्षों की उपस्थिति में लिये जाकर आदेश किया जाना प्रस्तावित है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अधिनियम में दिए प्रावधानों केविपरीत जाकर उक्त आदेश पारित किया है जो कानूनन पोषणीय नहीं होने से निरस्त होने योग्य है। अतः निवेदन है कि अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश को अपास्त कराया जावे और मामले को वापिस अधीनस्थ न्यायालय कोरिमाण्ड कराया जाकर हिदायत दिलायी जावे कि पत्रावली पर अपीलार्थी को साक्ष्य व सुनवाई हेतु समुचित अवसर प्रदान कर गुणावगुण पर विवेचन करते हुए अज सिरे पुनः निर्णय पारित फरमाया जावे।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को दिनांक 28.06.2017 को दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रत्यर्थी भंवरीदेवी की ओर से अधिवक्ता ने उपस्थित होकर दिनांक 13.11.2017 को जवाब प्रस्तुत नहीं कर बहस हेतु निवेदन किए जाने पर प्रत्यर्थी का जवाब बन्द किया गया। अपीलार्थी के द्वारा अपील के साथ अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 11.05.2017 की प्रमाणित फोटो प्रति,अपीलार्थी को सामाजिक रीति रिवाज अनुसार गोद लिए जाने की रस्म के फोटो ग्राफ्स , सीता पत्नि रामदेव गुर्जर की ओर से श्री नारायण पिता राधाकिशन गुर्जर के विरूद्ध पुलिस अधीक्षक भीलवाड़ा को कानूनी कार्यवाही हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 26.04.2017, प्रथम सूचना रिपोर्ट पुलिस थाना कोतवाली दिनांक 14.05.2017, अन्तिम सूचना रिपोर्ट दिनांक 31.05.2017, अपीलार्थी के आधार कार्ड सं0 996183185911 की फोटो प्रति, श्री हरलाल पिता मोती गुर्जर की ओर से मु0 रूकमा दुख्तर मोहन जोजे हरलाल के पक्ष में पंजीबद्ध बक्षीसनामें की फोटो प्रति प्रस्तुत की । अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी की ओर से अन्य कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त होने पर दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई। वकील अपीलार्थी के द्वारा लिखित में बहस प्रस्तुत की । लिखित बहस में अपील के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि भरण पोषण अधिनियम में वर्णित एक्ट के प्रावधानानुसार धारा 4(4) में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि कोई व्यक्ति जो किसी वरिष्ठ नागरिक का नातेदार है और उसके पास पर्याप्त साधन है ऐसे वरिष्ठ नागरिक का भरण पोषण करेगा परन्तु यह तब जबकि ऐसे वरिष्ठ नागरिक की सम्पत्ति उसके कब्जे में है या वह ऐसे वरिष्ठ नागरिक की सम्पत्ति को वसीयत में प्राप्त करेगा। परन्तु जहां एक नातेदार से अधिक नातेदार किसी वरिष्ठ नागरिक की सम्पत्ति को वसीयत में प्राप्त करने का हकदार है वहां भरण पोषण ऐसे नातेदार द्वारा उस अनुपात में संदेय होगा जिसमें वह उसकी सम्पत्ति को विरासत में प्राप्त करेगें। धारा 6(4) में स्पष्ट उल्लेख किया कि ऐसी प्रक्रियाओं के सभी साक्ष्य बालकों या नातेदारों की

जिला मजिस्ट्रेट
भीलवाड़ा (राज.)

जिनके विरूद्ध भरण पोषण का संदाय के लिए आदेश किया जाना प्रस्तावित है। उपस्थिति में लिये जायेगें और सम्मन मामलों के लिए विहित रीति में अभिलिखित किये जायेगें। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने एक्ट में वर्णित प्रावधानों की पालना नहीं की जाकर कोई साक्ष्य पत्रावली पर नहीं ली एवं अपीलार्थी को नहीं सुना गया। साथ ही अपीलार्थी के गोदपुत्र के तथ्य को भी छुपाया गया जिसकी जांच भी पटवारी हल्का से नहीं करायी गयी। अपीलार्थी की ओर से अपने पिता के साथ अपने गोद माता रूकमा देवी के अन्तिम समय के कार्यक्रम के व पगड़ी दस्तूर के छायाचित्र प्रस्तुत कर रखे हैं। इस प्रकार अपीलार्थी अपने माता पिता के जीवनकाल में ही रूकमा देवी व हरलाल के गोद चला गया था व जाति समाज व रस्म रिवाज अनुसार गोद की शर्तों का पालन करते हुए आज दिनांक तक उनके गोद पुत्र की हैंसियत से विरासत में प्राप्त सम्पत्ति पर बहैंसियत मालिकाना हक अधिकार से काबिज है उक्त मकान भी मेरे गोद माता पिता का ही है जिसमें प्रत्यर्थी जबरन उक्त प्रार्थनापत्र की आड में दबाव बनाकर हिस्से लेने पर आमादा हो रहे हैं। उक्त तथ्यों को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष निवेदन करने पर भी आदेश पारित किया जो निरस्त होने योग्य है। अतः अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को निरस्त फरमाया जावे तथा मामले को पुनः सुनवाई हेतु रिमाण्ड किए जाने का निवेदन किया। बहस में वकील रेस्पोडेन्ट ने निवेदन किया कि प्रत्यर्थी भंवरीदेवी 60 वर्ष की वृद्धा है जिसके दो पुत्र अपीलार्थी एवं नारायण है तथा 3 लड़कियां है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलार्थी को काफी अवसर प्रदान किए परन्तु प्रत्यर्थी को भरण पोषण हेतु कोई सहायत नहीं दिए जाने से अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा विधिवत सुनवाई करते हुए अपीलार्थी के विरूद्ध उचित निर्णय पारित किया है। यह प्रकरण मात्र भरण पोषण से सम्बन्धित है अपीलार्थी के द्वारा उक्त प्रकरण की आड में सम्पत्ति हड़पना चाहते हैं जो गलत है क्योंकि सम्पत्ति बाबत सिविल न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन है। अतः अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को यथावत रखते हुए अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावे ।

हमने वकील अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को सुना गया। न्यायालय के निर्णय दिनांक 05.05.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील समयावधि में प्रस्तुत किया जाना सिद्ध होता है। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों से स्पष्ट है कि अपीलार्थी स्वयं को हरलाल का गोदपुत्र बताता है परन्तु मात्र पगड़ी रस्म की फोटो प्रस्तुत की है इससे अपीलार्थी श्री हरलाल पिता मोती गुर्जर का गोदपुत्र सिद्ध नहीं होता है। क्योंकि अपीलार्थी ने ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया जिससे यह सिद्ध होता है कि अपीलार्थी को बाल्यावस्था में उसके मूल माता एवं पिता के द्वारा गोद दिया और गोद माता एवं पिता के द्वारा उसे विधिवत गोद लिया हो। गोदपुत्र के लिए गोद लेने एवं देने की प्रक्रिया आवश्यक है जिसे अपीलार्थी ने किसी तरह सिद्ध नहीं कराया है। न ही पंजीबद्ध गोदनामा प्रस्तुत किया है ऐसी स्थिति में अपीलार्थी का श्री हरलाल पिता मोती गुजर के गोद जाना सिद्ध नहीं होता है। यह सही है कि प्रत्यर्थी के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में जिस सम्पत्ति/मकान का उल्लेख किया है वह उसके पति राधाकिशन की पैतृक या स्वअर्जित होने सम्बन्धी कोई दस्तावेज न तो अपील में प्रस्तुत किया है न ही अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में जबकि अपीलार्थी ने श्री हरलाल पिता मोती गुर्जर निवासी भीलवाड़ा के द्वारा भोपालगंज भीलवाड़ा में नोहरा तलिया नं0 251 जरिये पंजीबद्ध विक्रय पत्र से श्री चांदु पिता बदु शेख निवासी भीलवाड़ा वार्ड नं0 4 से क्रय किया जाना सिद्ध होता है। जैसाकि सम्पत्ति के सम्बन्ध में स्वयं प्रत्यर्थी ने

जिला मजिस्ट्रेट
भीलवाड़ा (राज.)

सिविल न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन होना बताया है अतः उक्त बिन्दु पर इस न्यायालय स्तर से किसी प्रकार का निर्णय किया जाना उचित नहीं है। जहां तक भरण पोषण का प्रश्न है इस सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाता है कि जब तक अपीलार्थी गोदपुत्र सिद्ध नहीं होता है तब तक वह राधाकिशन का ही पुत्र माना जाएगा और प्रत्यर्थी राधाकिशन की पत्नि होने व अपीलार्थी की माता होकर 60 वर्ष की वृद्धा होने से वह वरिष्ठ नागरिक की श्रेणी में आती है साथ ही प्रत्यर्थी को अपीलार्थी ने बेदखल कर दिया जिससे उसके सामने अपने जीवन यापन की समस्या पैदा हुई है। वृद्धावस्था के पड़ाव में प्रत्यर्थी कार्य करने/ मजदूरी करके जीवन यापन करने में असमर्थ होने से सुरक्षा एवं भरण पोषण की जिम्मेदारी अपीलार्थी की बनती है क्योंकि पिता के पश्चात परिवार में बडा बेटा ही परिवार के अन्य सदस्यों की देखरेख, पालना पोषण करने का अधिकारी होता है। उक्त प्रकरण में अपीलार्थी ही प्रत्यर्थी भंवरी देवी का बडा पुत्र होने के नाते उसका दायित्व बनता है कि वह अपनी माता की सुरक्षा एवं पालन पोषण की व्यवस्था करें। इसके सम्बन्ध में माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 की धारा 9 के तहत अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.05.2017 उचित प्रतीत होता है। अतएव–

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट भीलवाड़ा के प्रकरण संख्या 03/2016 मे पारित निर्णय दिनांक 11.05.2017 यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड मय आदेश की प्रति भिजवाई जावे।

आदेश आज दिनांक 31.05.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शुचि त्यागी)
जिला मजिस्ट्रेट
भीलवाडा